

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 जून 2014—ज्येष्ठ 12, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2014

क्र. एफ बी-4-05-2014-2-पांच (21).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7(बी)/31-2013-2-पांच(20), दिनांक 4 सितम्बर 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (3) में अनुक्रमांक (1) के सामने, शब्द “तहसील सिहोरा तथा पाटन” का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2014

क्र. एफ बी-4-05-2014-2-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-05-2014-2-पांच, (21) दिनांक 2 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd June 2014

No. F-B-4-05-2014-2-V (21).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-B-7(B) 31-2013-2-V(20) dated 4th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, in column (3), against serial number 1, the words "Tehsil Sihora and Pattan" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.